डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/587/2025 दिनांक : /12/2025

कार्यालय–सूचना

ऐसे समस्त महाविद्यालय, जिनके द्वारा शासन द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नवीन महाविद्यालय की स्थापना अथवा पूर्व से संचालित महाविद्यालय में नवीन विषय/पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन०ओ०सी०) प्राप्त किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, को सूचित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति की तिथि से 02 (दो) कार्यदिवस के भीतर नियमानुसार समस्त सुसंगत अभिलेख विधिवत प्रमाणित करते हुए पत्रावली विश्वविद्यालय कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये। साथ ही, जमा किया गया प्रक्रिया शुल्क (आवेदन शुल्क ₹2,000/– प्रति पाठ्यक्रम तथा सम्बन्धित विषय/पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क) विश्वविद्यालय की बैंक शाखा से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

यदि किसी महाविद्यालय द्वारा किसी कारणवश निर्धारित शुल्क की राशि कम जमा की गयी हो, तो संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्वयं जाँच करते हुए बकाया शुल्क पूर्ण रूप से जमा करने के उपरान्त ही पत्रावली प्रस्तुत की जाये।

निर्धारित समयावधि एवं निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित आवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा नही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. प्रभारी–कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रभारी, वेबसाइट प्रकोष्ठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
3. ऐजेन्सी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett